संविधान के वास्तविक वास्तुकार डॉ. भीमराव अंबेडकर का तथ्यात्मक मूल्यांकन

Vandana Kumari
Research Scholar
B.R.A. University,
Department of History,
Muzaffarpur, Bihar, India.

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य संविधान के नायक के रूप में प्रचलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान का विश्लेषण करना है। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन चक्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी सम्मिलित किया गया है। यह अध्ययन इस बात की समीक्षा करता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संविधान निर्माण की तैयारियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्थान तत्कालीन राजनेताओं तथा समाज शास्त्रियों में अग्रणी रहा है अतः संविधान के वास्तविक वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक जीवन चक्र तथा संविधान निर्माण के प्रयासों में उनके योगदान का आंकलन करना बेहद कारगर सिद्ध होगा।

मूल शब्द - डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ड्राफ्टिंग कमेटी

प्रस्तावना -

भारत की स्वतंत्रता के दौरान भारत का अपना कोई कानून नहीं था अतः एक स्वतंत्र मुल्क के समक्ष सर्वप्रथम संविधान की आवश्यकता थी क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात किसी भी राष्ट्र के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु नियमों और कानूनों का होना एक प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान बनता है। जिसके आधार पर उस राष्ट्र के संपूर्ण तंत्र को क्रियान्वित किया जाता है। इसी दिशा में संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत भारत का संविधान बनाने वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ जिसमें एन गोपालस्वामी आयंगर, ए कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ बी आर अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, बी एल मित्तर तथा डी पी खेतान का चयन किया गया । इस कमेटी की 2 साल 11 माह और 18 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 संविधान का निर्माण किया गया तत्पश्चात इसे संपूर्ण भारतवर्ष पर 24 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया।

संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य टी टी कृष्णमाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था - संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन सात सदस्यों को नामित किया है उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं, एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं एक सदस्य अमेरिका में थे उनका स्थान भरा नहीं गया, एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे, एक दो व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजह से कमेटी की कार्यवाहीयों में हिस्सा नहीं ले पाए, सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उन का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है।[2]

अध्ययन का उद्देश्य -

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया गया है-

1- भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्थान का विश्लेषण करना ।

2- भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का अध्ययन करना।

भारतीय राजनीति में डॉ अम्बेडकर -

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ । वर्ष 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करके डॉ भीमराव अंबेडकर ने बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जिसके बाद 1923 में वे लंदन से बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे और वकालत शुरू की। तत्कालीन भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक रूप से पिछड़े तथा निर्बल लोगो के उन्नतिशील विकास हेतु वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वास्तविक राजनीतिक यात्रा वर्ष 1926 से शुरू हुई तथा 1956 तक वह विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। इस दौरान वर्ष 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई जिसने 1937 के केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में 15 सीटें प्राप्त की।

क्रम	डॉ अम्बेडकर के जीवन की राजनीतिक घटनाएं	राजनीतिक वर्ष
1	बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन	1924
2	बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित	1926
3	बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में चयनित	1936
4	स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना	1936
5	ऑल इंडिया शेड्यूलड कास्ट फेडरेशन की स्थापना	1942
6	रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य	1942
7	वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री	1946

तालिका -1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की राजनीतिक घटनाएं [1]

तालिका -1 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि डॉ अंबेडकर का जीवन भारतीय राजनीति में बेहद प्रभावशाली रहा है । वे अपनी शिक्षा तथा काबिलियत के दम पर भारतीय राजनीति में एक प्रखर राजनेता के रूप में उभरे हैं जिनका योगदान शोषित वर्गो, मजदूरों, कृषकों तथा मुख्य रूप से दलितों के विकास में सर्वाधिक रहा है। अतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संघर्षों की परिस्थितियों के दौरान सामाजिक भेदभाव , वर्ण व्यवस्था , जाति भेदभाव , आर्थिक शोषण के विरूद्ध तथा समाज में सभी को समान अवसर मिले , इसी परिकल्पना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए निरंतर प्रयास किए हैं।[4]

संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर -

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान समाज शास्त्री, दार्शनिक व शिक्षाविद थे । उन्हें अपने समाज तथा देश का पूरा मान था । डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संविधान को ढांचागत स्वरूप प्रदान करने का अधिकतर कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। [5]

भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित की गई समस्त शोधों में कई समाजशास्त्रियों तथा इतिहासकारों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर प्रकाश डाला है जिनमे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकप्रिय, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक बताया गया है इसके अलावा भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी इनका मूल्यांकन किया जाता रहा है।

संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का आंकलन करने की दृष्टि से क्रिस्टोफ जाफ्रलो अपनी पुस्तक " अंबेडकर एक जीवनी" में लिखते हैं - "हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर आंकलन करना चाहिए, यह कमेटी सिर्फ संविधान के प्रारंभिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहीं थी बल्कि उसको यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करें जिसके बाद, संविधान सभा के सामने पेश किया जाए, सभा के समक्ष कई मसीदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था, अधिकांश बार यही जिम्मेदारी अंबेडकर ने ही निभाई थी।"। [3]

चूंकि संविधान बनाने की चुनौतियां इतनी विकट होती हैं इसलिए उसे बनाने की प्रक्रिया का महत्व बढ़ जाता है भारत की संविधान सभा ने भी अपना कार्य दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया तथा उसे कानूनी दर्जा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा मिला। दलितों की आवाज को मुखर करने वाले भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में सबसे अग्रणी भूमिका में थे संविधान सभा में इनका आगमन मुंबई के एक बैरिस्टर के इस्तीफे के बाद हुआ जल्द ही इन्हें संपादक मंडल का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया इनके पश्चात मौलाना आजाद जवाहरलाल नेहरू वल्लभभाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय भूमिका में रहे । संविधान सभा के दूसरे मनोनीत सदस्यों में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, टीटी कृष्णमाचारी, शरद चंद्र बोस तथा एम के मुंशी सम्मिलित थे। संवैधानिक प्रक्रिया में इनकी सोच में संलग्न ताने संविधान को आखरी रूप देने का कार्य किया तथा अंत में ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संविधान का निर्माण संभव हो पाया। मूल संविधान में 12 अनुसूचियों तथा 400 अनुच्छेद के निर्माण में 2500 संशोधन सदन में पेश किए गए। [6]

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय इतिहास में बेहद गौरवशाली स्थान रहा है । एक तरफ जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति में एक प्रखर राजनेता के रूप में उभरे हैं वही दूसरी ओर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के संविधान निर्माता के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने सामाजिक परिदृश्य में , समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव तथा दलितों के शोषण के विरुद्ध सबसे बड़े जननायक के रूप में अग्रणी व्यक्तित्व के धनी भी साबित हुए है । इसके विपरीत वे अपने कार्य क्षेत्र में, भारत कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रमुख भूमिका में रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनका प्रमुख उद्देश्य भारत की उन्नति और विकास ही रहा है।

संदर्भ सूची -

1. चंग देव भंवर राव (1985), डॉ भीमराव राम जी अंबेडकर ,वॉल्यूम 7, महाराष्ट्र राज्य साहिल्य संस्कृति मंडल, मत्रालया, पृष्ठ -273

2. संविधान सभा की बहस, खंड -7, पृष्ठ 231

3. क्रिस्टोफ जाफ्रलो (2017), भीमराव अंबेडकर- एक जीवनी, पृष्ठ - 130

4. मनोहर पुरी (2009), डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित चेतना के शिखर पुरुष, वाणी प्रकाशन, पृष्ट -16

5. मनोहर पुरी (2009), डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित चेतना के शिखर पुरुष, वाणी प्रकाशन, पृष्ट -14

6. माधव खोसला (2018), भारत का संविधान , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ -111